

R/15-81

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 1981/चैत्र 4, 1903  
No 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 1981/CHAITRA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1981

सा. का. नि. 205 (अ) :—भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख 16 जनवरी, 1981 के पृष्ठ 37-39 पर प्रकाशित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1981 में :—

(क) पृष्ठ 37 पर, खण्ड 1 (1) में :—

“(बीधा संशोधन नियम, 1980)” के स्थान पर

“(पहला) संशोधन नियम, 1981” पढ़ें ।

(ख) पृष्ठ 38 पर, खण्ड 4 में दी गई सारणी में,—

“(1) स्तम्भ (3) में,

“जल विलेय” के स्थान पर “विलेय” पढ़ें ।

(2) स्तम्भ 1 के नीचे दी गई वैधता की अवधि में,—

“31-3-81 तक” के स्थान पर 31-3-82 तक”,

“1-4-81 से 31-3-82 तक के स्थान पर” 1-4-82 से 31-3-83 तक”,

“1-4-82 से 31-4-1983 तक” के स्थान पर “1-4-83 से 31-4-84 तक”,

“1-4-1983 से 31-4-84 तक” के स्थान पर “1-4-84 से 31-1-85 तक, और

“1-4-84 से आगे” के स्थान पर “1-5-85 से आगे पढ़ें” ।

[सं. पी. 15018/3/76-पी. एच. (एफ एण्ड एन) जिल्द-2]

जी. पंचापकेशन, अथर सचिव

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th March, 1981

**G.S.R. 205(E)**—In the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 23(E) dated the 16th January, 1981, published at pages 37-39 of the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section-8 Sub-section (i) dated the 16th January, 1981 :—

On page 39, in the Table

- insert ‘(1)’, ‘(2)’ and ‘(3)’ as column numbers below the headings “Period of validity”, “Minimum percentage of sodium chloride content as NaCl (on dry basis)”, and “Minimum percentage of matter soluble in water other than Sodium Chloride (on dry basis)” respectively ;
- in column (2), for “NaCL” read “NaCl” ;
- in column (3), for “Minimum” read “Maximum”.

[No. P. 15018/3/76-PH(F&N) Vol. III]

G. PANCHAPAKASAN, Under Secy.